



सत्यमेव जयते

कार्यालय

आयकर आयुक्त (छूट)

यू.पी.कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,
टी.सी.-46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : प्रज्ञावतरण एजूकेशनल सोसाइटी
पता : म० नं० - 37, सेक्टर- 15 ए नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301
(उ०प्र०)
पैन : AAATP8278R
आदेश तिथि : 12.01.2017

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 28.02.2007 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू०आर०एन०) 40(26)/2006-07 के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2007 को विद्वान आयकर आयुक्त, मुजफ्फरनगर के आदेश द्वारा किया गया है। उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2017 की प्रभावी तिथि से आयकर आयुक्त(छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रज्ञावतरण एजूकेशनल सोसाइटी, म० नं० - 37, सेक्टर- 15 ए नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301, (उ०प्र०) को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/संस्थान के नाम जो कि सामान्य लोकोपयोगी कार्यों के लिए स्थापित की गई हैं, का अनुमोदन दिनांक 12.01.2017 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्ति रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी। धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संस्थान में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।



— ३० —
(पी०के० बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ